आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 19/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पिरामल केपीटल एण्ड हाउसिंग फाइनेन्स लि॰ (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लि॰) पंजीकृत कार्यालय –वार्डन हाउस द्वितीय तल सर पी एम रोड, फार्ट, मुम्बई तथा शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम आई रोड, जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी मुकेश यादव।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री सोहनलाल,
   पता एवं कार्यालय पता :– ग्राम जनकीनाथपुरा, पोस्ट ऑफिस गोहन्दी, तह० फागी, जयपुर। एवं पटटा नम्बर 4, ग्राम जनकीनाथपुरा, गोहन्दी, ग्राम पंचायत गोहन्दी, फागी, जिला जयपुर।
2. श्री सोहनलाल पुत्र श्री धन्ना गुर्जर,
   पता :– ग्राम जनकीनाथपुरा, पोस्ट ऑफिस गोहन्दी, तह० फागी, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :–

1. श्री विक्रम सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री सत्यनारायण टेलर अप्रार्थी सख्या 1 की ओर से।

आदेश दिनांक 26.05.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.07.2018 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सोहनलाल के स्वामित्व की सम्पति पटटा नम्बर 4, ग्राम जनकीनाथपुरा, गोहन्दी, ग्राम पंचायत गोहन्दी, फागी, जिला जयपुर क्षेत्रफल 177.55 वर्ग गज को बन्धक रख कर 3,27,032/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.05.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी सख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण टेलर ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा है।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 21 जनवरी 2011 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. अप्रार्थी ने जबाब बहस प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अधिक समय नही दिया जा सकता है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 3,27,032/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 3,75,461/— रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.05.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
7. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री सोहनलाल के स्वामित्व की सम्पति पटटा नम्बर 4, ग्राम जनकीनाथपुरा, गोहन्दी, ग्राम पंचायत गोहन्दी, फागी, जिला जयपुर क्षेत्रफल 177.55 वर्ग गज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
9. आदेश आज दिनांक **26.05.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

26/05/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर